

3-मल

प्रेषक

महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा चंडीगढ़ ।

सेवा में

हरियाणा राज्य में सभी आयुक्त एवं उपायुक्त ।  
हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।  
हरियाणा राज्य में सभी निगमों/बोर्डों के प्रबन्धक निदेशक/मुख्य  
प्रशासक ।

यादी क्रमांक 7159 टीए-हर(4टी)17/ 8955-8999

दिनांक 11/12/17

विषय: Grant of reservation to persons with disabilities in jobs under  
Government/Government undertakings, Bodies and universities etc.

-----  
उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

2. वर्णित मामले में सरकार की द्वारा जारी हिदायतें क्रमांक 22/10/2013-1जी0एस0-III, दिनांक 17.4.2017 के तहत उपरिशात रिजर्वेशन का लाभ Physical Disabled person को दिया जाना है । यदि आपके कार्यालय में कार्यरत कोई अनुभाग अधिकारी इन हिदायतों के अर्न्तगत कवर होता है तो उसके सेवा रिकार्ड की सत्यापित प्रति/मैडीकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति सहित प्रस्ताव इस विभाग को एक सप्ताह के अन्दर-2 भिजवाना सुनिश्चित करें । ताकि मामले में आगामी कार्यवाही की जा सके ।

संयुक्त निदेशक

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा चंडीगढ़ ।

दिनांक

पृ0 क्रमांक 7159 टीए-हर(4टी)17/

उपरोक्त की एक प्रति सभी अनुभाग अधिकारियों को सूचनार्थ/आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

संयुक्त निदेशक

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा चंडीगढ़ ।

दिनांक

पृ0 क्रमांक 7159 टीए-हर(4टी)17/

उपरोक्त की एक प्रति मुख्यालय में लेखाधिकारियों से सम्बन्धित सीट 1टी को प्रेषित है ।

संयुक्त निदेशक

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा चंडीगढ़ ।